



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082026-275483
CG-DL-E-14082026-275483

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4298]
No. 4298]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2026

का.आ. 4476(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 804(अ) तारीख 16/02/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या-752जी के कि.मी. 64/000 से कि.मी.101/140 सटाणा से मंगरुळ (भाग-III) तक के भूखण्ड के निर्माण, (दो लेन/चार लेन/चौड़ा करणे/टोल प्लाजा आदी) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22/02/2026" को "दैनिक देशदुत टाईम्स (इंग्रजी)" और " दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स (मराठी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या-752जी के कि.मी. 64/000 से कि.मी.101/140 के सटाणा से मंगरुळ (भाग-III) लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नासिक		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बागलाण					
गांव का नाम: मोरे नगर					
1	54/2	निजी	शुष्क	0.0779	अक्षरा संजय सोनवणे अपाक आई मनिषा, अनिकेत पोपट सोनवणे, कुंदन गोविंद सोनवणे, गणपत गोविंद सोनवणे, चित्राबाई भालचंद्र सोनवणे, दिपाली नितीन आहिरे, दौलतराव सुखदेव सोनवणे, बाजीराव गोविंद सोनवणे, बाळासाहेब सुकदेव सोनवणे, मनिषा मुकेश देवरे, मनिषा संजय सोनवणे, माधव तुळशीराम सोनवणे,

					राजेश पोपट सोनवणे, राजेंद्र तुळशीराम सोनवणे, रोहिणी पोपट सोनवणे, वनिता जगदीश पगार, विशाल भालचंद्र सोनवणे, शाहू संजय सोनवणे अपाक आई मनिषा, शोभा पोपट सोनवणे, सचिन लाला सोनवणे, सारिका भालचंद्र सोनवणे, संदेश मुरलीधर सोनवणे, हेमंत शिवाजी सोनवणे, खुशी संजय सोनवणे अपाक आई मनिषा.
Total				0.0779	

[फा. सं. NH-12014/79/2020-21-MAH(Z-4)/3D1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2026

S.O. 4476(E) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 804(E) Dated 16th February, 2026** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Two lane/Four lane/Widening/Toll Plaza etc.) Maintenance, management and operation of **National Highway No.752G** on the stretch of land from **Km. 64/000 to Km. 101/140 Satana to Mangrul (Section – III)** in the district of **NASHIK** in the state of **MAHARASHTRA**

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Deshdoot Times (English)**” and “**Dainik Maharashtra Times (Marathi)**” both **dated 22/02/2026**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority Deputy Collector (Land Acquisition) National Highway Project, Nashik and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling National Highway-752G in the stretch of land from Km. 64/000 to Km. 101/140 of Satana to Magrul (Section – III) in the district of NASHIK in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: Nashik		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Baglan					
Village: More Nagar					
1	54/2	Private	Dry	0.0779	Akshara Sanjay Sonawane A.P.K. Mother Manisha, Aniket Popat Sonawane, Kundan Govind Sonawane, Ganpat Govind Sonawane, Chitrabai Bhalchandra Sonawane, Dipali Nitin Ahire, Daulatrao Sukhdev Sonawane, Bajirao Govind Sonawane, Balasaheb Sukhdev Sonawane, Manisha Mukesh Deore, Manisha Sanjay Sonawane, Madhav Tulshiram Sonawane, Rajesh Popat Sonawane, Rajendra Tulshiram Sonawane, Rohini Popat Sonawane, Vanita Jagdish Pagar, Vishal Bhalchandra Sonawane, Shahu Sanjay Sonawane A.P.K. Mother Manisha, Shobha Popat Sonawane, Sachin Lala

					Sonawane, Sarika Bhalchandra Sonawane, Sandesh Muralidhar Sonawane, Hemant Shivaji Sonawane, Khushi Sanjay Sonawane A.P.K. Mother Manisha.
Total				0.0779	

[F. No. NH-12014/79/2020-21-MAH(Z-4)/3D1]

SHAIKH AMINKHAN, Director